भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1842

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

सीएसडब्ल्यूबी के तहत योजनाएं

1842. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के समानान्तर महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का इन सभी योजनाओं को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नियंत्रण में लाने का विचार है;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य बोर्डों को कानूनी दर्जा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं और दोषी गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) : बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए, मंत्रालय की सभी योजनाओं को तीन व्यापक मिशनों जैसे (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य, में शामिल कर दिया गया है। सभी योजनाओं के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। यह मंत्रालय गैर - सरकारी संगठनों को निधियां स्वीकृत नहीं करता है।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त संगठनों को युक्तिसंगत बनाने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को बंद कर दिया था जिसका उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा उपलब्ध जनशक्ति और परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करना

था। भारत के राजपत्र (विशेष) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सीएसडब्ल्यूबी-11/1/2024-सीएसडब्ल्यूबी, दिनांक 4 अप्रैल, 2024 के अनुसार, सीएसडब्ल्यूबी 30 नवंबर, 2024 से बंद है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मंत्रालय के दिनांक 18.06.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि तमिलनाडु राज्य समाज कल्याण बोर्ड सहित वे अपने संबंधित राज्य समाज कल्याण बोर्डों (एसएसडब्ल्यूबी) को जारी रखने या फिर अन्यथा के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार लेने के लिए तथा एसएसडब्ल्यूबी के प्रबंधन में उनकी जनशक्ति तथा पेंशन सहित वित्तीय दायित्व, यदि कोई हो, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होगी।

******